(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः –1625 –पारे0अनु0–16/पाट्राकालि–2018–43/2012 दिनांकः 11 मई, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में तैनात कार्मिकों के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत स्थानान्तरण विषयक समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुये, एतद्द्वारा वर्ष 2018–2019 हेतु स्थानान्तरण नीति निम्नवत् निर्धारित की जाती है :–

1. **स्थानान्तरण निम्नांकित प्रक्रिया के अनुसार किये जायेंगे** :–

(क) प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।
(ख) प्रोन्नति, सेवा–समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि स्थितियों में स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।
(ग) किसी कार्मिक के व्यक्तिगत कारण, यथा–चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा या अन्य किसी विशेष कारण के आधार पर, स्थान रिक्त होने अथवा कार्मिकों की पारस्परिक सहमति प्राप्त होने पर स्थानान्तरण/समायोजन किया जा सकेगा बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो।
(घ) यदि पति–पत्नी दोनों सरकारी/कारपोरेशन की सेवा में हो तो उन्हें यथा सम्भव एक ही जनपद/नगर में तैनात करने हेतु स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

2. (क) समूह 'क' व 'ख' के ऐसे अधिकारी, जो किसी एक पद पर 03 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हों, उन्हें स्थानान्तरित किया जायेगा।
(ख) समूह 'क' के ऐसे अधिकारी, जो किसी पारेषण क्षेत्र/इकाई में समूह 'क' के पदों पर 10 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हों, उन्हें इस क्षेत्र/इकाई से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा।

समूह 'क' के खण्डीय स्तर के अधिकारी जो समूह 'क' के पदों पर किसी मण्डल (सर्किल) के अन्तर्गत 05 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हों, उन्हें इस मण्डल से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा।

पारेषण क्षेत्र हेतु निर्धारित उक्त अवधि पूर्ण होने के उपरान्त भी किसी अधिकारी की तैनाती पुनः उसी पारेषण क्षेत्र/इकाई में की जा सकती है, यदि वह न्यूनतम 03 वर्ष की अवधि हेतु इस क्षेत्र/इकाई से बाहर तैनात रहा हो। प्रतिबन्ध यह होगा कि उसे पूर्व धारित पदों पर तैनाती नहीं मिलेगी।

(ग) समूह 'ख' के ऐसे अधिकारी जो समूह 'ख' के पदों पर किसी खण्ड के अन्तर्गत 05 वर्ष अथवा किसी मण्डल (सर्किल) के अन्तर्गत 07 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हों, उन्हें इस खण्ड/मण्डल से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा।

11/05/18

मण्डल (सर्किल) हेतु निर्धारित उक्त अवधि पूर्ण होने के उपरान्त भी किसी अधिकारी की तैनाती पुनः उसी पारेषण मण्डल के अन्तर्गत की जा सकती है, यदि वह न्यूनतम 03 वर्ष की अवधि हेतु किसी अन्य मण्डल में तैनात रहा हो। प्रतिबन्ध यह होगा कि उसकी तैनाती पूर्व धारित पद पर नहीं होगी।

3. (क) समूह 'ग' के ऐसे अवर अभियन्ता, जो किसी एक सेक्शन में 03 वर्ष, किसी एक पारेषण खण्ड में 05 वर्ष तथा किसी एक पारेषण मण्डल में 08 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हों, उन्हें स्थानान्तरित किया जायेगा। कोई भी अवर अभियन्ता, जो एक स्थान पर पहले कार्य कर चुका है, उसे उस स्थान पर दोबारा तैनात नहीं किया जायेगा। अवर अभियन्ताओं को उसके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा।

(ख) समूह 'ग' के लिपिकीय संवर्ग/लेखा/कला संवर्ग के कार्मिक, जो किसी एक पद पर 03 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उनका पटल परिवर्तन करते हुए उन्हें किसी दूसरे समकक्ष पद पर तैनात किया जायेगा। किसी एक कार्यालय में उनका अधिकतम कार्यकाल 06 वर्षों, किसी एक जनपद में अधिकतम 10 वर्षों का होगा। इन कार्मिकों की तैनाती उनके गृह जनपद में नहीं की जायेगी।

उक्त के फलस्वरुप, किसी स्थानान्तरित कार्मिक की ज्येष्ठता परिवर्तित नहीं होगी अपितु यह उसके मूल नियुक्ति कार्यालय के अनुसार यथावत बनी रहेगी।

(ग) प्रतिस्थानी की उपलब्धता के प्रतिबन्धाधीन, समूह 'ग' के परिचालकीय संवर्ग के उन्हीं कार्मिकों के स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा, जो किसी एक स्थान पर 05 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हों।

(घ) चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों का स्थानान्तरण यथासम्भव उनके गृह जनपद में किया जायेगा, लेकिन उन्हें उस कार्यालय में तैनात नहीं किया जायेगा, जिस स्थान पर उनका मूल निवास स्थान हो। किसी एक कार्यालय में उनका अधिकतम कार्यकाल 05 वर्षों का होगा, इसके उपरान्त उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा।

4. परीक्षण एवं परिचालन, एस0एल0डी0सी0, ए0एल0डी0एस0, वाणिज्य एवं नियोजन, संचार एवं नियन्त्रण इकाईयों में तैनात अधीक्षण अभियन्ता स्तर तक के कार्मिक एवं पाली में तैनात समस्त कार्मिक स्थानान्तरण हेतु निर्धारित समय सीमा एवं गृह जनपद/मण्डल के प्रतिबन्धों से सामान्यतः मुक्त रहेंगे।

5. शक्ति भवन विस्तार/मुख्यालय की विभिन्न इकाईयों में असंवेदनशील पदों पर तैनात रहे ऐसे अधिकारी, जो किसी एक पद पर 03 वर्ष कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें शक्ति भवन विस्तार/मुख्यालय में समकक्ष पदों पर अथवा अन्यत्र आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जायेगा।

6. उक्त आधार पर स्थानान्तरित किये जाने वाले कार्मिकों की संख्या किसी क्षेत्र/इकाई में तैनात उस वर्ग के कार्मिकों की संख्या के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यदि इस सीमा से अधिक स्थानान्तरण की आवश्यकता हो तो अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

11.5.18

7. उपरोक्तानुसार "सामान्य स्थानान्तरण" की प्रक्रिया को यथासम्भव दिनाँक 15.05.2018 तक पूर्ण किया जायेगा, परन्तु किन्हीं विषम परिस्थितियों में इसे विलम्बतः दिनाँक 31.05.2018 तक पूर्ण किया जायेगा।

8. **अन्य मार्गदर्शक सिद्धान्त** :–

(क) समूह 'क' के अधिकारियों को उनके गृह मण्डल एवं समूह 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा।

(ख)संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती सत्यनिष्ठा रोके जाने की तिथि से अग्रेतर 03 वर्षों तक संवदेनशील पदों पर नहीं की जायेगी।

(ग) स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव बनाये जाने की तिथि से विगत 03 वर्षों की अवधि में 03 अथवा इससे अधिक दण्ड (लघु/वृहद) पाये हुये कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण : किसी कार्मिक को यदि किसी एक प्रकरण में 'निन्दा प्रविष्टि' एवं 'असंचयी/संचयी प्रभाव' से वेतन वृद्धि रोके जाने का दण्ड प्रदान किया गया है तो उपर्युक्त के प्रयोजनार्थ सम्बन्धित कार्मिक को 02 दण्ड प्रदान किये गये माने जायेंगे।

(घ) मंदित बच्चों के माता–पिता की तैनाती अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर, विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाये, जहाँ चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है।

(ड) दिव्यांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक, जिनके आश्रित परिवारीजन दिव्यांगता से प्रभावित हों, को सामान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाये। ऐसे दिव्यांग कार्मिकों के स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किये जायें। दिव्यांग कार्मिक के द्वारा अनुरोध किये जाने पर, पद की उपलब्धता के आधार पर उसे उसके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है।

(च) तैनाती अवधि की गणना हेतु कट–आफ डेट 31.03.2018 मानी जायेगी।

(छ) दिनॉक 31.03.2020 तक सेवानिवृत्त होने वाले समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों को उनके इच्छित जनपद (गृह जनपद के अतिरिक्त) तथा समूह 'ग' के कार्मिकों को उनके इच्छित जनपद में स्थानान्तरित किये जाने पर यथासम्भव विचार किया जायेगा।

(ज) सामान्यतः किसी कार्मिक को ऐसे किसी पद/कार्यालय जिसमें वह पहले कार्य कर चुका हो, पुनः उसे उसी पद/कार्यालय में तैनात नहीं किया जायेगा।

(झ) पारेषण स्कन्ध में निम्नांकित पद संवेदनशील निर्धारित किये जाते हैं:–

1. पारेषण क्षेत्रों के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/उप खण्ड अधिकारी अथवा सहायक अभियन्ता के समस्त पद (परीक्षण एवं परिचालन इकाई के अतिरिक्त)।
2. एस0एल0डी0सी0/संचार व नियंत्रण इकाइयों के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता के समस्त पद।

11/05/18

3. पारेषण परिकल्पना इकाईयों के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के समस्त पद।

4. विद्युत जानपद पारेषण इकाईयों के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/उप खण्ड अधिकारी के समस्त पद।

5. उप मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी के समस्त पद।

6. समूह 'क' व 'ख' के समस्त ऐसे पद, जो टेन्डर प्रक्रिया से प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से सम्बन्धित हो अथवा जहॉ पर आहरण एवं वितरण तथा बैंक खाते के संचालन का अधिकार प्राप्त है।

9. स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना :–

(i) स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों को अवमुक्त करने की तिथि के सम्बन्ध में यह निर्देश अंकित किये जाने चाहिए कि वे आदेश जारी किये जाने के दिनॉक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें और सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए, सम्बन्धित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(ii) स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(iii) बुंदेलखण्ड क्षेत्र में तैनात कार्मिकों को स्थानान्तरण किये जाने के पश्चात अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय प्रबन्ध निदेशक द्वारा लिये जायेंगे।

10. मान्यता प्राप्त सेवा संघो के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण :–

मान्यता प्राप्त सेवा संघो के अध्यक्ष/सचिवों के स्थानान्तरण उनके द्वारा संगठन में पद धारित होने की तिथि से दो वर्ष तक नही किये जायेंगे। यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो तो इसका अनुमोदन प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 से प्राप्त किया जायेगा।

11. स्थानान्तरण रोकने के प्रत्यावेदन एवं सिफारिश :–

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने से सम्बन्धित प्रत्यावेदनों को किसी भी दशा में अग्रसारित न किया जाये। यदि कोई स्थानान्तरित कार्मिक ऐसे आदेशों के विरूद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाने का प्रयास करे तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी अधिनियम–56 के नियम 27 का उल्लंघन मानते हुए सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने वाले सम्बन्धित कार्मिक के अगले वेतन का भुगतान नही किया जायेगा तथा इसकी सूचना लिखित रूप से आहरण एवं वितरण अधिकारी को दे दी जाये।

11/05/18

12. चार्ज नोट :–

स्थानान्तरित कार्मिक से यह अपेक्षा की जाती है कि अपना कार्यभार छोड़ने के समय चार्ज नोट तीन प्रतियों में तैयार करेगा, जिसकी एक प्रति नये कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को, एक प्रति अपने से उच्च अधिकारियों को कार्यभार प्रमाण के साथ प्रस्तुत करेगा एवं तृतीय प्रति स्वयं रखेगा। इस चार्ज नोट में महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं/विधिक मामलों आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देगा ताकि नये कार्यभार ग्रहण करने वाले कार्मिक को आगे कार्य सम्पादित कराने में सुविधा हो तथा विभाग को किसी प्रकार की असुविधा/क्षति न हो।

13. जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से किसी भी कार्मिक का कभी भी स्थानान्तरण किया जा सकता है।

14. यह स्थानान्तरण नीति जब तक कारपोरेशन द्वारा विखण्डित न कर दी जाये यथावत् लागू रहेगी।

15. (i) सभी स्थानान्तरण एवं तैनाती, इस स्थानान्तरण नीति के अनुसार किये जोयेंगे। सामान्य एवं विशिष्ट दोनो ही प्रकार के स्थानान्तरण में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या–79/1997 में पारित आदेश दिनांक 21.03.2007 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) यदि कार्मिकों के स्थानान्तरण, इस स्थानान्तरण नीति एवं उपरोक्त बिन्दु सं0–13 के अनुसार किये गये हों, तो इससे शासन स्तर पर गठित "द्विसदस्यीय समिति" को कार्योत्तर संज्ञानित कराया जायेगा।

(iii) यदि किसी विशिष्ट एवं अपवादिक स्थितियों में प्रस्तावित स्थानान्तरण से, इस स्थानान्तरण नीति के विचलन की स्थिति बनती हो, तो ऐसे प्रकरणों में शासन स्तर पर गठित "द्विसदस्यीय समिति" का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही स्थानान्तरण किये जायेंगे।

16. उपर्युक्त स्थानान्तरण नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्याः– 1625–पारे0अनु0–16/पाट्राकालि–2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, के निजी सचिव।
4. समस्त निदेशक गणों से सम्बद्ध निजी सचिव, उ0प्र0पा0 ट्रान्समिशन कारपोरेशन शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2)/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, मुख्यालय कारपोरेशन।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

11/05/18

8. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
9. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक/उप मुख्यलेखाधिकारी, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. इं0 पंकज सक्सेना, अधिशासी अभियन्ता (सम्बद्ध) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

11/05/18

(ए0 के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव (पारेषण)